तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / एलआर / 2005 / 4824 / टोंक</u>** **किशनसिंह बनाम ग्राम पंचायत**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकल–पीठ</u>
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

<u>उपस्थित :–</u>
श्री अजीत सिंह राठौड़, अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित,

<u>दिनांक : 23 अगस्त, 2022</u>

<u>निर्णय</u>

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–8–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी / निगरानीकर्ता विवादग्रस्त आराजीयात ग्राम पंचायत चौसला में स्थित जिसका नामान्तरकरण संख्या–221 प्रार्थी / निगरानीकर्ता के पक्ष में पंजीबद्ध विक्रय पक्ष के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा भरा गया था। एक राजनेतिक विद्वेषता एवं गुठबाजी के कारण ग्राम पंचायत द्वारा तथ्यों के विपरीत एवं क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर अपने आदेश दिनांक 28–3–1999 द्वारा उक्त नामान्तरकरण निरस्त कर दिया एवं उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा एक अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के समक्ष अपील कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर विवादग्रस्त आराजी क्रय की गयी है एवं पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर क्रय की गई आराजी का नामान्तरकरण किया जाना आवश्यक है। ग्राम पंचायत द्वारा राजनैतिक दबाव में तथ्यों के विरूद्ध एक क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया, वह निरस्तनीय है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा भी अन्य केस के तथ्यों को एवं दस्तावेज के आधार मानकर आदेश पारित कर दिया एवं ग्राम पंचायत के आदेश को बहाल रखा गया। इसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा द्वितीय अपील विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / एलआर / 2005 / 4824 / टोंक</u>** **किशनसिंह बनाम ग्राम पंचायत**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत की। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–8–2003 के द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा द्वारा गलत दस्तावेज या अन्य केश से सम्बन्धित दस्तावेज को आधार मानकर आदेश दिनांक 17–6–2000 को बहाल रखा। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3– प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी संख्या–2 अपने वकील साहब कागजात देकर अपने गांव चले गये थे। उसे वकील साहब ने आश्वस्त कर दिया था कि आपको आगामी तारीख पेशी पर हाजिर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्णय की जानकारी आपको दे दी जायेगी। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसे कानून की पेचीदगियों की जानकारी नहीं है। काफी समय के पश्चात जब केस का ध्यान आया, तब नकल लेकर यह निगरानी प्रस्तुत कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी पक्षकार नहीं था इसलिये निगरानी प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है, जिसे क्षमा किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा प्रदान कर न्यायहित में उचित आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। 4– अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया। जो कि अप्रार्थी संख्या–1 ग्राम पंचायत चेनपुरा को नोटिस तामील करवा दिये गये, किन्तु अप्रार्थी संख्या–2 को नोटिस तामील नहीं हुये। तब अप्रार्थी संख्या–2 को रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस भेजे गये जो कि अदम तामील में वापिस लौटकर आ गये। इसके पश्चात अखबार के माध्यम से दोनों अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये किन्तु दोनों अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। इसलिये एकपक्षीय बहस निगरानीकर्ता की सुनी गयी। 5– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के विरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तथ्यों एवं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / एलआर / 2005 / 4824 / टोंक</u>** **किशनसिंह बनाम ग्राम पंचायत**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दस्तावेज को आधार मानकर पारित आदेश विधि एवं न्याय के विरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त आराजी के संबंध के वाद लम्बित होने एवं इसमें यथास्थिति के आदेश को आधार मानकर आदेश पारित किया गया है जबकि प्रार्थी से सम्बन्धित विवादग्रस्त आराजी का कोई वाद आज दिनांक तक लम्बित नहीं है एवं ना ही प्रार्थी पक्षकार के विवादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित एवं वादग्रस्त आराजी का कोई संबंध नहीं है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वरा वाद के लम्बन को आधार मानकर पारित आदेश काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेज को नजरअंदाज कर सरसरी तौर पर विधि विरूद्ध आदेश पारित कर निरस्त फरमा दिया जो विधि एवं न्याय के विरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त फरमाया जावे एवं पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामान्तरकरण संख्या–221 को बहाल करने का आदेश न्यायहित में पारित करें। 6– निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने एक प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी प्रार्थी को उनके वकील साहब ने नहीं दी इसलिये उन्हें जानकारी नहीं हो पायी। जब जानकारी हुई तब नकलें निकलवाई गई और तुरन्त ही अपील पेश कर दी गयी। इसलिये निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर निगरानी में समुचित आदेश प्रदान करवाने का श्रम करें। निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्को के समर्थन में 1976 आरआरडी पेज–10 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। 7– हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का आदरपूर्वक अध्ययन किया गया। 8– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि यह निगरानी किशनसिंह पुत्र फतहसिंह एवं रामस्वरूप पुत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / एलआर / 2005 / 4824 / टोंक</u>** **किशनसिंह बनाम ग्राम पंचायत**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बजरंगलाल दोनों ने प्रस्तुत की है जो कि दिनांक 3–10–2005 को न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत हुई। जबकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28–8–2003 को पारित किया जा चुका था। इस प्रकार यह अपील लगभग दो वर्ष से अधिक अवधि के विलम्ब के पश्चात प्रस्तुत हुई थी। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर में प्रार्थी के अभिभाषक निर्णय के समय दिनांक 28–8–2003 को न्यायालय में उपस्थित थे इसलिये प्रार्थी का यह कथन कि निर्णय की उन्हें जानकारी नहीं थी, नितान्त असत्य एवं तथ्यों से परे है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह मत प्रतिपादित किया है कि निगरानी प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के लिये एक एक दिन का समुचित कारण प्रदर्शित करना होता है। इस प्रकरण में प्रार्थीगण ने दो वर्ष के विलम्ब का कोई समुचित एवं तार्किक कारण प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिये यह निगरानी मियाद बाहर होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम निरस्त किया जाता है और निगरानी में बिना गुणावगुण पर निर्णय करते हुये यह निगरानी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरि शंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / एलआर / 2005 / 4824 / टोंक</u>** **किशनसिंह बनाम ग्राम पंचायत**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए